HRM-I/Pol/RR/OTH/2/2022-Pol/RR-O/o ADG-HRM-I-DGHRD-Delhi
2741468/2022/Ad-IIIB Section

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2009/आषाढ़ 29, 1931
No. 418] NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2009/ASADHA 29, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 537(अ).—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और भू-सीमा शुल्क बोर्ड, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1979 और सीमा-शुल्क विभाग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उसका संबंध उप कार्यालय अधीक्षक स्तर I तथा उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में उप कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क उप कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये 20 सितम्बर, 2005 से प्रवृत हुए समझे जाऐंगे ।

2. **पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **आरंभिक गठन** :—(1) उप कार्यालय अधीक्षक स्तर I तथा उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II के इन नियमों के प्रारंभ के समय नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति इन नियमों के अधीन उप कार्यालय अधीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाए समझे जाएंगे ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उप कार्यालय अधीक्षक स्तर I तथा उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II की श्रेणी में उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता का विनिश्चय करने के संबंध में गणना में ली जाएगी ।

(3) उप कार्यालय अधीक्षक स्तर I को उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II के बाद सामूहिक रूप से ज्येष्ठ रखा जाएगा ।

4. **विशेष उपबंध** :— प्रत्येक काडर, नियंत्रक जोन का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन अपना पृथक काडर होगा ।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. **निरर्हता** :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप कार्यालय अधीक्षक	1985*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन : 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (i) ऐसे ज्येष्ठ कर सहायक जिन्होंने 9300-34800 रु. के वेतन बैंड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ii) उप कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति जोन वार की जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टि या प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय समिति : (क) केन्द्रीय - उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क आयुक्त, —अध्यक्ष (ख) दो अपर या संयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क आयुक्त, —सदस्य (ग) एक सहायक या उप आयकर आयुक्त —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/16/2005/प्रशा.-III(बी)]

के. के. खट्टर, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : (i) ये उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II (5000-8000 रु. के वेतनमान में) तथा उप कार्यालय अधीक्षक स्तर I (5500-9000 रु. के वेतनमान में) के ग्रेड छठे वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार 20-9-2005 से 13-12-2005 तक 5500-175-9000 रु. के वेतनमान में और 1-1-2006 से वेतन बैंड 2 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. में उप कार्यालय अधीक्षक के रूप में विलय करने वाले कार्यपालक अनुदेशों के जारी होने की तारीख अर्थात् 20 सितम्बर, 2005 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2009

G.S.R. 537 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group 'C' posts Recruitment Rules, 1979 and the Customs Department (Group 'C') Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the posts of Deputy Office Superintendent Level-I and Deputy Office Superintendent Level-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Office Superintendent in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Customs and Central Excise, namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Department of Revenue, Central Excise and Customs, Deputy Office Superintendent Group 'B' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 20th day of September, 2005.

2. Number of post, classification and scale of pay. —The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Initial Constitution. — (1) All the persons appointed on the regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Deputy Office Superintendent Level-I and Deputy Office Superintendent Level-II shall be deemed to have been appointed as Deputy Office Superintendent under these rules.

(2) The service rendered by them in the grade of Deputy Office Superintendent Level-I and Deputy Office Superintendent Level-II before commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to the next higher grade.

(3) Deputy Office Superintendent Level-I shall be placed en-bloc senior followed by Deputy Office Superintendent Level-II.

4. Special Provision.—Each cadre controlling zone shall have its own separate cadre, under the Central Board of Excise and Customs,

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dy. Office Superintendent.	1985*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay band -2 Rs. 9300-34800 grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Promotion.	**Promotion :** (i) Senior Tax Assistants with three years regular service in the grade in pay Band Rs. 93000-34800/-. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation Period for Promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (ii) Promotion to the grade of Deputy Office Superintendent shall be made Zone-wise

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of :— (i) Commissioner of Central/Excise Customs —Chairman (ii) Two Additional or Joint Commmissioners of Central Excise/Customs —Member (iiii). One Assistant or Deputy Commissioner of Income Tax —Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/16/.2005-Ad. III (B)]

K. K. KHATTAR, Under Secy.

Explanatory memorandum : (i) They shall be deemed to have come into force with effect from the 20th September, 2005. i.e. date of issue of executive instruction merging the grades of Deputy Office Superintendent Level-II (in the Pay Scale Rs. 5000-8000) and Deputy Officer Superintendent Level I (in the pay scale of Rs. 5500-9000) as Deputy Office Superintendent in the Pay Scale of Rs. 5500-175-9000 w.e.f. 20-9-2005 to 31-12-2005 and in Pay Band 2 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4200 w.e.f. 1-1-2006 as per sixth pay commission pay scales.

(ii) It is certified that by giving retrospective effect to the provisions of these rules no one is being adversely affected.

2654 GI/09-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.